

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज0 जयपुर)
क्रमांक: एफ-13(8)/निजभूसं/डब्ल्यू.डी.टी./2012/140-580

दिनांक: 22/11/12

कार्यालय आदेश

विभागीय पत्रांक एफ18(आई-3)निजभूसं/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2011/3850-82 दिनांक 16.05.11 के द्वारा प्रेषित पी.आई.ए. एवं डब्ल्यू.डी.टी. के मध्य वार्षिक आधार पर किये जाने वाले एग्रीमेंट फॉर कन्सलटेंसी असाइनमेंट के बिन्दु संख्या 5.1 में उल्लेखित जलग्रहण विकास दल सदस्यों को हटाये जाने की तीनों शर्तों को विलोपित करते हुये निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :-

“यदि जलग्रहण विकास दल सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन निर्धारित शर्तों के अधीन नहीं करता है तो पी.आई.ए. द्वारा उसे 10 दिवस में दायित्व निर्वहन हेतु नोटिस दिया जावे। इसके पश्चात भी यदि जलग्रहण विकास दल सदस्य अपना कार्य समय पर नहीं करता है तो पुनः पी.आई.ए. द्वारा उसे 7 दिवस का नोटिस दिया जावे। इसके पश्चात ही पी.आई.ए. अपने अधिकारों का उपयोग करते हुये जलग्रहण विकास दल सदस्य का अनुबंध समाप्त करेगा”।

पी.आई.ए. द्वारा जलग्रहण विकास दल सदस्य का अनुबंध समाप्त करने के फलस्वरूप हटाये गये सदस्य द्वारा संबंधित परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी. को हटाये जाने के 15 दिवस की अवधि में अपील कर सकता है। परियोजना प्रबंधक को प्रत्येक ऐसे प्रकरणों में 20 दिवस की अवधि में निर्णय करना होगा तथा उसका निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक: एफ-13(8)/निजभूसं/डब्ल्यू.डी.टी./2012/140-580 दिनांक: 22-01-13

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक, निदेशालय जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (Admn.)/(IWMP) निदेशालय, जयपुर।
5. वित्तीय सहायकार, निदेशालय, जयपुर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
7. समस्त उप निदेशक, निदेशालय, जयपुर। (J o m l)
8. परियोजना अधिकारी (भूसंसाधन) निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त परियोजना प्रबंधक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भूसंसाधन), वाटरशेड सैल कम. डाटा सेंटर, जिला परिषद।
10. ए.सी.पी. निदेशालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. पी.आई.ए. (समस्त) पंचायत समिति।

अतिरिक्त निदेशक (IWMP)

JKM

23/11/12